BIHAR STATE CONTRACTUAL HEALTH EMPLOYEES FEDRATION
बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ

Dolphin, Triveni Sadan, Near Forest Dept.
Off, Nehru Nagar, Patliputra, Patna- 13 (BIHAR)
E-mail:- contractualhealth@gmail.com

सचिव
ललन कुमार सिंह
मो0– +917870316313

अध्यक्ष
अफरोज अनवर
मो0– +919304066754

Memo ......59.... ....

Date...10.7.2020.....

सेवा में,

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य

–सह–

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना

विषय : बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के द्वारा प्रस्तावित हड़ताल की स्मार पत्र देने के सम्बन्ध में।

महाशय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के पत्रांक 53, दिनांक 24.06.2020 को विभिन्न माँगों पर सहानुभुति पूर्वक विचार करने हेतू लिखित सूचना से अवगत कराया गया था। परन्तु सरकार के किसी भी स्तर से संघ के प्रतिनिधि को विभिन्न माँगों के मुद्दों पर कोई भी वार्ता या विचार से अवगत नहीं कराया गया हैं। (बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ के पत्रांक 53, दिनांक 24.06.2020 संलग्न)

संघ के द्वारा आन्दोलन हेतु निम्नवत घोषणा करती है :

4. **एन0एच0एम0 अन्तर्गत कार्यरत कर्मी 13 जुलाई 2020 से लेकर 18 जुलाई 20 तक काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेगी।**
5. **20 जुलाई 2020 को सांकेतिक हड़ताल।**
6. **21 जुलाई 2020 से अनिश्चित कालीन हड़ताल**

नोट : उपरोक्त सभी कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी का पालन एवं मास्क का उपयोग किया जाएगा।

Lal 10/7/2020
ललन कुमार सिंह
सचिव,
बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ

विश्वासभाजन
10-07-2020
अफरोज अनवर
बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ

Scanned with CamScanner

भवदीय के समक्ष संघ का सम्मस्या निवारण माँग निम्न प्रकार है :—

1. राज्य से लेकर स्वास्थ्य उपकेन्द्र तक प्रबन्धकीय कर्मी कैडर कर्मियों का एक माह का समतूल्य प्रोत्साहन राशि दिया जाये।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत सभी संविदा पर कार्यरत सभी कर्मी जो राज्य स्तर से स्वास्थ्य उपकेन्द्र तक कार्यरत हैं, को Public Health Management Cadre लागू कर समायोजन करते हुए नियमित किया जाये।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेन्द्र तक सभी संविदा कर्मी का जिनका वर्ष 2011 से अब तक मानदेय पुनरीक्षण लंबित है, को शीघ्र पुनरीक्षित किया जाये।
4. Fitment Committee की अनुशंसा को लागू की जाय।
5. एन0एच0एम0 अन्तर्गत नियुक्ति में पूर्व से कार्यरत कर्मियों को आयु 15 वर्ष की छुट एवं प्राथमिकता दी जाय।
6. एन0एच0एम0 अन्तर्गत सभी संविदा कर्मियों को 15 प्रतिशत प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि की जाय।
7. एन0एच0एम0 अन्तर्गत सभी संविदा कर्मियों को नियमितीकरण प्रक्रिया होने तक तक एच0आर0 पॉलिसी लागू किया जाये एवं चयनमुक्त जैसी निरंकुश प्रथा को समाप्त किया जाये।
8. राज्य स्तर से स्वास्थ्य उपकेन्द्र तक संविदा पर कार्यरत पदाधिकारी अथवा कर्मियों को अतिरिक्त प्रभार न दी जाये, यदि दी जाती है तो अतिरिक्त प्रभार पर उनके कार्य उपलब्धि को मानक मानते हुए किसी भी प्रकार की कोई दण्डात्मक कार्रवाई पर अंकुश लगाया जाये। साथ ही दी गई अतिरिक्त प्रभार हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाय।
9. एन0एच0एम0 अन्तर्गत चयन मुक्त सभी संविदा कर्मियों को बिना शर्त वापस लिया जाये।
10. एन0एच0एम0 अन्तर्गत कार्यरत किसी भी कर्मी को अपरिहार्य कारणों से Terminate नहीं किया जाय। राज्य स्वास्थ्य समिति के बायलॉज की कंडिका 2.5(1) के आधार पर suspension किया जाय।

    suspension की सुनवाई 30 दिनों के अन्दर पूरी की जाय और जब तक suspension प्रक्रिया / सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक भरण–पोषण हेतु आहरित मानदेय की 50 प्रतिशत राशि प्रति माह भुगतान की जाय।
11. राज्य स्तर से प्रखण्ड स्तर तक आउटसोर्स प्रथा को बन्द किया जाये एवं पूर्व से बहाल सभी आउटसोर्स कर्मियों को एन0एच0एम0 में समायोजित की जाये।
12. एन0एच0एम0 अन्तर्गत कार्यरत सभी कर्मियों को आवेदन के आधार पर राज्य के अन्य जिलों में अविलम्ब स्थानान्तरण की जाय।
13. एन0एच0एम0 कर्मी के सेवाकाल के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 25,00,000/– (पच्चीस लाख रूपया) क्षतिपूर्ति के रूप में एवं परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये।
14. DPMU के तर्ज पर राज्य स्तर (SPMU)/(RPMU एवं चिकित्सा महाविद्यालय) के कर्मियों एवं BPMU कर्मी को भी आवासीय भवन उपलब्ध कराया जाये। अगर आवासीय भवन उपलबध नहीं हो तो उस स्थिति में आवासीय भत्ता प्रदान करने की कृपा की जाय ।
15. एन0एच0एम0 अन्तर्गत कार्यरत राज्य से लेकर स्वास्थ्य उपकेन्द्र तक के सभी स्तर के कर्मियों को EPF की सुविधा से आच्छादित किया जाय। चाहे उनकी आहरित मानदेय रू0 15,000/– से अधिक क्यों न हो। साथ ही प्रत्येक स्तर के कर्मियों को समरूप ढ़ग से रू0 15,000/– के स्लेब पर EPF की कटौती की जाए।
16. Ayush Doctor को जिस तरह मानदेय राज्यांश मद से किया गया है। जिसमें करीब 62 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, उसी तरह सभी एन0एच0एम0 अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों का भी मानदेय राज्यांश मद से वृद्धि की जाये।

अतः उपरोक्त माँगों के सम्बन्ध में बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ विनम्र अनुरोध करती है कि हम सभी संविदा कर्मी को सम्मान पूर्वक जीने हेतु न्यायपूर्ण निर्णय लेने की कृपा किया जाये।

Lal 10/7/202

ललन कुमार सिंह
सचिव,
बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ

10.07.2020

अफरोज अनवर
बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ

Scanned with CamScanner